# फर्द अहकाम

नथीसिंह बनाम उप वन संरक्षक

यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

ख्या 03/2015

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 28/03/25 | पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्तागण की बहस अंतिम के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 614/1046 रकबा 2.00 हे० वादीगण के पूर्वज मृत के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है। जो कि स्पष्ट रूप से वादीगण की एकल खातेदारी/अधिकारिता की भूमि है। प्रतिवादी वन विभाग द्वारा अपनी अधिकारिता के सन्दर्भ में कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसमें विवादित भूमि का खसरा नम्बर 614/1046 का उल्लेख हो। चूंकि विवादित भूमि ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 हे. वादी की खातेदारी अधिकारिता की भूमि है। ~~जिसमें कोई त्रुटि नहीं~~ जिसकी सुरक्षा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। राज. काश्त. अधि. की धारा 188 ने एक काश्तकार खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों की भूमि की सुरक्षा व अधिकार प्रदान किये हैं जिससे उक्त संदर्भ में सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। जहां तक प्रश्न प्रतिवादी के इस कथन का है कि उसके द्वारा धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत वादी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तो प्रथम दृष्टया उक्त कार्यवाही विधि विरुद्ध है क्योंकि वादी [illegible] भूमि का अभिलेखित खातेदार है। वादी द्वारा एक [illegible] काश्तकार के रूप में स्थायी [illegible] स्थायी वाद [illegible] है। यदि प्रतिवादी भूमि का स्वामित्व अपना मानता है तो उसके सन्दर्भ में प्रतिवादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिसके क्रम में विधि | |

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:44:25 IST
Reason: SelfAttested

## फर्द अहकाम

जगदीश बिहूर बनाम उपवन संरक्षक

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 03/2015

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 28/3/25 | अनुसार सुनवाई की जाकर साक्ष्यों की गुणवत्ता के दृष्टिगत निर्णय किया जाना उचित होगा। वादी द्वारा स्वयं की प्रचलित एकल खातेदारी की कृषि भूमि व कब्जे में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में ही वाद का निर्णय अपेक्षित है तथा वाद के अन्तर्गत प्रस्तुत कागजात दस्तावेजात अनुसार जो भूमि वादग्रस्त प्रचलित रूप से कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित रही है जो कि वादी द्वारा प्रचलित एकल खातेदार से विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के क्रयशुदा भूमि है जो कि एक खातेदार के रूप में विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत क्रय की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना प्रदर्शित है प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार उल्लेखित भूमि का वन भूमि नहीं होकर प्रचलित रूप से कृषि भूमि होना प्रदर्शित है जो कि वादी की खातेदारी की पुष्टि करते हैं। उभयपक्षकारान के अभिकथनों व तथ्यों के समग्र विवेचन से प्रकरण। अपनी खातेदारी की भूमि की वास्तविक पहचान / सीमाज्ञान से सम्बन्धित प्रतीत होता है। जिससे अपनी अभिलेखित वास्तविक भूमि / सीमा की जानकारी का अभाव पक्षकारान के मध्य विवाद का संभावित मूलकारण होना प्रतीत होता है। जिससे अपनी अभिलेखित वास्तविक भूमि की सम्यक जानकारी व तदनुसार पुख्ता कार्यवाही स्थाई रूप से वाद निस्तारण का उचित आधार होगी।<br>अत: उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे अपनी अभिलेखित खातेदारी भूमि के विधिक व तकनीकी रूप से मान्य सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार आमेर P.T.O. |

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

## फर्द अहकाम

जगदीश बिहूर बनाम उपवन संरक्षक

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

संख्या 03/2015

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 28/3/25 | सक्षम स्तर पर विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सीमाज्ञान करावें तथा साथ ही तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान से विधिवत प्राप्त आवेदन अनुसार उभयपक्षकारान की भूमि का मान्य आधार पर सीमाज्ञान कर पक्षकारान को अपनी वास्तविक भूमि / सीमा से अवगत करावें तथा वास्तविक भूमि व कब्जाशुदा भूमि में भिन्नता पाई जाने पर उभयपक्षकारान को वास्तविक भूमि पर कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही पूर्ण करावें। उक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने तक चूँकि भूमि खसरा नं. 612/1046 रकबा 2.00 हे० प्रचलित राजस्व रिकार्ड अनुसार तथा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादी / वादीगण की विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के क्रयशुदा कृषि भूमि है। जिस पर वादीगण विगत 27 वर्षों से एक सदभावी क्रेता के रूप में काबिज खातेदार काश्तकार है।<br>अत: वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को भूमि की वास्तविक पहचान / सीमाज्ञान कार्यवाही पूर्ण होने तक जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम दरवाड़ा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 हे० जो कि प्रचलित राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी / वादीगण की एकल खातेदारी व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि है, में वादीगण के कब्जाकाश्त व भूमि के उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें। निर्णय सुनाया गया। | P.T.O |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:44:25 IST
Reason: SelfAttested

# फर्द अहकाम

[illegible] बनाम उपवन संरक्षक

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 03/2015

| संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 28/3/25 | तदनुसार पर्चा लिखी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:44:25 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर
इजलास **डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

**वाद संख्या : 03/2015**

**निर्णय दिनांक :28.03.2025**

1. जयवीर सिंह (मृतक)
   1/1 हरप्रीत सिंह पुत्र स्व. जयवीर सिंह
   निवासी ए–18, यूथवेलफेयर एनक्लेव सैक्टर 79, माहोली पंजाब।
   1/2 कुलवन्त कौर पत्नी स्व. जयवीर सिंह (मृतक नाम हजफ)
   निवासी ए–18, यूथवेलफेयर एनक्लेव सैक्टर 79, माहोली पंजाब।
   1/3 हरबन कौर पुत्री स्व. जयवीर सिंह पत्नी गुरजीत सिंह
   निवासी आउस नम्बर 68, कालिया कॉलोनी, जालन्धर पंजाब।
   1/4 सारिन कौर पुत्री स्व. जयवीर सिंह पत्नी सरबजीत सिंह
   निवासी वर्ड स्पा ईस्ट ए–5, 1101, गुडगांव सैक्टर 30, हरियाणा।
   1/5 भावना पुत्री जयवीर सिंह पत्नी सुनरीत
   निवासी 101, फर्स्ट फ्लोर इकबाल निवास 17 आर डी खार वेस्ट मुम्बई।

**–वादीगण**

**बनाम**

1. उपवन संरक्षक जयपुर मध्य मिनी सचिवालय बनीपार्क जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

**–प्रतिवादीगण**

**वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा**

**निर्णय**

उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे अपनी अभिलिखित खातेदारी भूमि के विधिक व तकनीकी रूप से मान्य सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार आमेर/सक्षम स्तर पर विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सीमाज्ञान करावे तथा साथ ही तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान से विधिवत प्राप्त आवेदन अनुसार उभयपक्षकारान की भूमि का मान्य आधार पर सीमाज्ञान कर पक्षकारान को अपनी वास्तविक भूमि/सीमा से अवगत करावे तथा वास्तविक भूमि व कब्जाशुदा भूमि में भिन्नता पाई जाने पर उभयपक्षकारान को वास्तविक भूमि पर एवं कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही पूर्ण करावें। उक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने तक चूंकि भूमि खसरा नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. प्रचलित राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तथा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात अनुसार वादी/वादीगण की विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रयशुदा कृषि भूमि है। जिस पर वादीगण विगत 27 वर्षो से एक सद्भावी क्रेता के रूप में काबिज खातेदार काश्तकार है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को भूमि की वास्तविक पहचान/सीमाज्ञान कार्यवाही पूर्ण होने तक जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वें ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. जो कि प्रचलित राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी/वादीगण की एकल खातेदारीता व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि है, में वादीगण के कब्जाकाश्त व भूमि के उपयोग उपभोग में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.03.2025 को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

ओहदा ..................................

| मुदई | रुपये | पैसे | मुदायला | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 02 | | [illegible] | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | 02 | | [illegible] | 02 | |
| स्टाम्प वह सबूत | | | [illegible] | | |
| महन्ताना वकील | | | [illegible] | | |
| खर्चा गवाहान | | | [illegible] | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इज[illegible] हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:44:25 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

**पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस)**
**वाद संख्या : 03/2015** **निर्णय दिनांक : 28.03.2025**

1. जयवीर सिंह (मृतक)
   1/1 हरप्रीत सिंह पुत्र स्व. जयवीर सिंह
   निवासी ए-18, यूथवेलफेयर एनक्लेव सैक्टर 79, माहोली पंजाब।
   1/2 कुलवन्त कौर पत्नी स्व. जयवीर सिंह (मृतक नाम हजफ)
   निवासी ए-18, यूथवेलफेयर एनक्लेव सैक्टर 79, माहोली पंजाब।
   1/3 हरवन कौर पुत्री स्व. जयवीर सिंह पत्नी गुरजीत सिंह
   निवासी आउस नम्बर 68, कालिया कॉलोनी, जालन्धर पंजाब।
   1/4 सारिन कौर पुत्री स्व. जयवीर सिंह पत्नी सरबजीत सिंह
   निवासी वर्ड स्पा ईस्ट ए-5, 1101, गुडगांव सैक्टर 30, हरियाणा।
   1/5 भावना पुत्री जयवीर सिंह पत्नी सुनरीत
   निवासी 101, फर्स्ट फ्लोर इकबाल निवास 17 आर डी खार वेस्ट मुम्बई।

**-वादीगण**

**बनाम**

1 उपवन संरक्षक जयपुर मध्य मिनी सचिवालय बनीपार्क जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

**-प्रतिवादीगण**

**वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा**

उपस्थित:- अधिवक्ता वादी श्री प्रेम प्रकाश शर्मा
उपस्थित:- अधिवक्ता प्रतिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार जैन

**निर्णय**

वादीगण की ओर से वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि आराजी ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. के सन्दर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त उल्लेखित भूमि के वादीगण काबिज काश्त अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा वर्णित भूमि को वादीगण द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रमांक 1530 दिनांक 16.03.1999 के तत्कालीन राजस्व रिकार्ड के प्रचलित अभिलिखित खातेदार काश्तकार सांवरमल पुत्र गोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर से क्रय की गई है। उक्त प्रचलित खातेदार/विक्रेता का विक्रित भूमि पर निरन्तर कब्जाकाश्त बहैसियत खातेदार वर्ष 1986 से 1999 तक रहा है। जिसके पश्चात खरीद के समय से ही वादी उक्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। इसके उपरान्त भी वादीगण की उक्त प्रचलित अभिलिखित खातेदारीता एवं कब्जाकाश्त की भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि होना बताते हुए वन विभाग द्वारा वादीगण की उक्त खातेदारी सीमाक्षेत्र की भूमि में जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा इसी आशय से वादीगण की उक्त भूमि में मदाखलत करते हुए निर्माण करने एवं वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है एवं वादीगण के कब्जाकाश्त में बाधा कारित की जा रही है। जिससे वादीगण को हस्तगत वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जिसके क्रम में यदि प्रतिवादी को वादीगण की उक्त वर्णित खातेदारीता की भूमि में जबरन प्रवेश, निर्माण व वादीगण के उक्त भूमि में उपयोग उपभोग में बाधा कारित ना करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिस... स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किय... वादीगण की प्रचलित अभिलिखित खातेदारीता एवं कब्जाकाश्त ... है. में वादीगण के कब्जाकाश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी ... करें तथा ना ही वादीगण की उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:44:25 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा अपने अभिकथनों के सन्दर्भ में निम्न द... प्रस्तुत किये गये है:-

1. प्रदर्श 1:- प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2067-70 (दिनांक 16.06.2014)। जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त आ.ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. किस्म बारानी 3 रूप में कृषि भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता जयवीर सिंह पुत्र रामसिंह की एकल खातेदारिता में दर्ज अंकित है। उक्तानुसार भूमि वन भूमि नही होकर कृषि भूमि के रूप में दर्ज होना प्रदर्शित/साबित है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

2. प्रदर्श 2:– प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि आराजी ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. का साबिक खसरा नं. 257 मिन होना दर्ज अंकित/प्रमाणित है।

3. प्रदर्श 3:– प्रमाणित प्रतिलिपी/जमाबंदी संवत 2055–2058 खाता सं 157 वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर। जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त आ.ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. किस्म बारानी 3 के रूप में कृषि भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में सांवरमल पुत्र रामगोपाल जाति महाजन की खातेदारिता में दर्ज अंकित है। उक्तानुसार भूमि वन भूमि नही होकर कृषि भूमि के रूप में दर्ज होना प्रदर्शित/साबित है।

4. प्रदर्श 3 ए:– प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत 2059–2062 खाता सं 64 वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर। जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त आ.ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. किस्म बारानी 3 कृषि भूमि के रूप में वादी जयवीर सिंह पुत्र रामसिंह जाति सिक्ख (जाट) के नाम दर्ज अंकित है।

5. प्रदर्श 4:– नामान्तकरण सं. 53 दिनांक 20.11.2001। जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त आराजी ख. नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. किस्म बारानी 3 का नामान्तरकरण भूमि के गत एकल खातेदार काश्तकार सांवरमल पुत्र रामगोपाल के स्थान पर वादीगण के पिता जयवीर सिंह पुत्र रामसिंह के नाम दिनांक 20.11.2001 को एकल खातेदारिता के रूप में स्वीकृत होना दर्ज अंकित है। उक्त नामान्तकरण अनुसार उल्लेखित भूमि का नामान्तकरण पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 1530 दिनांक 16.08.1999 के आधार पर स्वीकृत होना भी प्रमाणित है।

6. सत्य प्रति : जमाबन्दी सम्वत 2071–74 दिनांक 22.12.2018 जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त आ. ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. किस्म बारानी 3 के रूप में कृषि भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता जयवीर सिंह पुत्र रामसिंह की खातेदारिता में दर्ज अंकित है। उक्तानुसार भूमि वन भूमि नही होकर कृषि भूमि के रूप में दर्ज होना प्रदर्शित/साबित है।

वादपत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी 1 द्वारा अभिकथन किया गया है कि विवादित भूमि ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. साबिक ख.नं. 424 से बना है, जो कि रक्षित वन क्षेत्र है जिसका स्वामित्व व कब्जा मिन प्रतिवादी /वन विभाग का है तथा उक्त भूमि क्षेत्र राजस्व (ग्रुप 8) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या एफ 2(11)राज./8/77 दिनांक 10.03.1978 के क्रम में जरिये गजट नोटिफिकेशन के राजपत्र सं. भाग1(ख) क्रम सं. 391 दिनांक 18.03.1982 द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। उल्लेखित विवादित भूमि का गत खसरा नं. 424 है, जिसका कुल रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा है, जो कि पूर्णतया वन विभाग के स्वामित्व व कब्जे में है तथा वन बन्दोबस्ती के अनुसार भी ख.नं. 424 का कुल रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा है, जो कि वन भूमि है। उक्त भूमि दिनांक 10.03.1978 को रक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने पर समस्त कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करते हुये ही अवाप्त कर ली गई थी। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने अभिकथनों में आगे यह भी कथन किया गया है कि वादी द्वारा उक्त भूमि का कभी कोई क्रय जरिये विक्रय पत्र सं. 1530 दिनांक 16.08.1999 के भूमि के किसी तथाकथित पूर्व खातेदार सांवरमल पुत्र रामगोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर से नही किया गया है, क्योंकि सांवरमल पुत्र रामगोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर उक्त भूमि का कभी खातेदार नही रहा है, ना ही हो सकता था, क्योंकि उक्त भूमि दिनांक 10.03.1978 को रक्षित वन क्षेत्र घो[illegible] विभाग के स्वामित्व व कब्जे की भूमि रही है तथा स्वामित्वहीन तथाकथित खातेदार [illegible] स्वामित्व का हस्तांतरण नही कर सकता है। इस प्रकार वादीगण [illegible] भी उक्त आराजी के विधिक खातेदार नही रहे। इसके अतिरि[illegible] वादपत्र में यह भी कथन किया गया है कि वादीगण के पिता को उल्लेखित [illegible] है. पर अवैध अतिक्रमण के सन्दर्भ में राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] 91 के अन्तर्गत विधिवत कार्यवाही के क्रम में न्यायालय सहायक वन संरक्षक जयपुर (उत्तर) द्वारा दर्ज प्रकरण सं. 686/2010 में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2012 द्वारा अतिक्रमी घोषित करते हुए शास्ति राशि अधिरोपित की जाकर बेदखली के आदेश भी दिये गये है। उक्त आदेश के अधीन वादीगण के पिता का आराजी ख. नं. 424 पर निर्माण व कृषि फार्म के रूप में कब्जा होना साबित पाया गया है। जिसके क्रम में कार्यवाही के विरूद्ध स्वयं के बचाव हेतु वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि भू–राजस्व की धारा 91 के अन्तर्गत आदेश के विरूद्ध अपीलीय कोर्ट राजस्व में अपील ही की जा सकती है। वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता है। साथ ही वन भूमि से संबंधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:44:25 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
मुख्यालय-जयपुर

प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नही है। इस प्रकार वादीगण अथवा वादीगण के पिता उक्त आराजीयात के कभी सदभावी/विधिक खातेदार नही रहे है अपितु अतिक्रमी है। जिससे वादीगण कोई अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा से प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रस्तुत वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी द्वारा अपने अभिकथनों के सन्दर्भ में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है:-

1. प्रदर्श ए 1:- सत्यापित प्रति विज्ञप्ति संख्या एफ 2(11)राज./8/77 दिनांक 10.03.1978 राजस्व (ग्रुप 8) विभाग राजस्थान सरकार। जिसके अंतर्गत वादग्रस्त भूमि के खसरा नं विशेष का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदर्श ए 1(ए):- सत्यापित प्रति आदेश दिनांक 25.10.2012 न्यायालय सहायक वन संरक्षक जयपुर (उत्तर) बाबत प्रकरण सं 686/2010 बउनवानी क्षेत्रीय वन अधिकारी अचरोल बनाम जयवीर सिंह जिसके अनुसार ख.नं. 424 पर वादी के पिता जयवीर सिंह का निर्माण व कृषि फार्म के रूप में कब्जा होना साबित पाया गया है का उल्लेख किया गया है।
3. प्रदर्श ए 2:- सत्यापित प्रति वन बन्दोबस्त/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी। जिसके अंतर्गत वादग्रस्त भूमि के खसरा नं विशेष का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदर्श ए 3:- सत्यापित प्रति गजट नोटिफिकेशन के राजपत्र सं. भाग1(ख) क्रम सं. 391 दिनांक 18.03.1982। जिसके अंतर्गत वादग्रस्त भूमि के खसरा नं विशेष का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदर्श ए 4:- सत्यापित प्रति नकल नक्शा।
6. प्रदर्श ए 5:- प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान। जिसके अनुसार भूमि ख.नं. 257 रकबा 58 बीघा 07 बिस्वा के साबिक ख.नं. 424 रकबा 58 बीघा 07 बिस्वा होना प्रदर्शित है तथा ख.नं. 257 रकबा 58 बीघा 07 बिस्वा से नवीन ख.नं. 612 रकबा 8.76 है., ख.नं. 612/1045 रकबा 2.00 है., 612/1046 रकबा 2.00 है., 612/1047 रकबा 2.00 है. कायम किया जाना प्रदर्शित है।
7. प्रदर्श ए 6:- प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2025-2028। जिसके अनुसार भूमि ख.नं. 257 रकबा 58 बीघा 07 बिस्वा गै.मु.टीबा के रूप में प्रदर्शित है।
8. प्रदर्श ए 7:-प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2029-2032। जिसके अनुसार भूमि ख.नं. 257 रकबा 58 बीघा 07 बिस्वा गै.मु.टीबा के रूप में प्रदर्शित है।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:-

1. आया वादी प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि वह वादी की खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. में किसी प्रकार की मदाखलत व निर्माण ना करें।

   -वादी

2. आया विवादित भूमि ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. साबिक ख.नं. 424 से बना है। जो कि रक्षित वन क्षेत्र की भूमि है। जिसका स्वामित्व व कब्जा वन विभाग है।

   -प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

कायम तनकीयात के क्रम में वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथपत्र हरप्रीत सिंह पुत्र जयवीर सिंह, समय सिंह मीणा पुत्र मलखान सिंह के प्रस्तुत [illegible] कलमबद्ध कराए गए तथा प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र गौरव यादी हाल पद[illegible] क्षे[illegible] वन अधिकारी अचरोल रेंज, जयपुर के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध कराए गए।

उभयपक्षकारान की साक्ष्य जि[illegible] पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। जिसके क्रम में उभ[illegible] गई।

उभयपक्षकारान के अभिकथनो, बहस के तथ्यो, पत्राव[illegible] में प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के गहन अवलोकन व तथ्यो के समग्र विवेचन अनुसार प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार है:-

तनकी सं 1:- इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता वादीगण पर थी। जिसके अनुसार वादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वादी (वादीगण) प्रतिवादी 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वह वादी की खातेदारी भूमि आ.ख. नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. में किसी प्रकार की मदाखलत व निर्माण ना करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:44:25 IST
Reason: SelfAttested

... (फास्ट ट्रेक) ...
मुख्यालय-जयपुर

उक्त परिपेक्ष्य में वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात प्रदर्श 1 से प्रदर्श 4 के समग्र व पारस्परिक तुलनात्मक विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त वादीगण के पिता की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.03.1999 के एक सद्भावी क्रेता के रूप में तथा भूमि के तत्कालिक अभिलिखित एकल खातेदार से विधिवत क्रयशुदा कृषि भूमि है। जो विगत 24 वर्षो से वादी (वादीगण) की एकल खातेदारिता में राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित है। जिस पर वादी/वादीगण विगत 26 वर्षो से निरन्तर काबिज भी है। जो कि (कब्जा) स्वयं प्रतिवादी पक्ष के कथनों व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात से भी बखूबी सिद्ध है। उक्त भूमि वादी के क्रय किये जाने के पूर्व से ही कृषि भूमि के रूप में विक्रेता के नाम एकल खातेदारिता में दर्ज रही है। इस प्रकार भूमि के वन विभाग की भूमि होने की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है, ना ही प्रतिवादी वन विभाग द्वारा भूमि के संदर्भ में अपनी अधिकारिता/कब्जे के संदर्भ में ऐसा कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जिसमें विवादित भूमि ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. का उल्लेख हो। जबकि विगत 24 वर्ष के राजस्व रिकॉर्ड ईन्द्राज अनुसार भूमि निरन्तर वादी के तथा वादी से पूर्व विक्रेता खातेदार के नाम एकल रूप में दर्ज भूमि है, जिस पर वादी के कब्जे को स्वयं प्रतिवादी वन विभाग द्वारा स्वीकार (वादी के तथाकथित अतिक्रमण संबंधी के रूप में) किया गया है। इस प्रकार विवादित भूमि वादी (वादीगण) की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि है। जिसकी सुरक्षार्थ वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके संदर्भ में राज.काश्त.अधि की धारा 188 अनुसार एक अभिलिखित खातेदार को अधिकार प्रदत्त किए है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निस्तारित की जाती है।

तनकी सं 2:– इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादी पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादी पक्ष द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि विवादित भूमि ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. साबिक ख.नं. 424 से बना है। जो कि रक्षित वन क्षेत्र की भूमि है। जिसका स्वामित्व व कब्जा वन विभाग का है। उक्त परिपेक्ष्य में प्रतिवादी पक्ष द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 612/1046 के वन भूमि से संबंधित होने बाबत ऐसा कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके अंतर्गत भूमि ख.नं. 612/1046 अथवा उक्त भूमि के साबिक ख.नं. 257 का कोई उल्लेख प्रदर्शित हो। जबकि भूमि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विगत 27 वर्षो से निरन्तर कृषि भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रही है। जिस पर वादी के कब्जे को स्वयं प्रतिवादी पक्ष द्वारा भी उल्लेखित किया गया है। जिससे प्रतिवादी पक्ष के स्वामित्व व कब्जे की कोई पुष्टि नहीं होती है (प्रतिवादी पक्ष के कथन काउन्टर क्लेम अथवा भूमि के स्वामित्व के संदर्भ में प्रस्तुत नवीन/पृथक वाद के अधीन विषय है। जिसके संदर्भ में वादी (हाल प्रतिवादी पक्ष) के प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात व उभयपक्षकारान की साक्ष्य के अधीन विस्तृत सुनवाई के अनुसार उचित निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।) अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निस्तारित की जाती है।

**आदेश**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:44:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष[illegible] किया तथा
पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अव[illegible] स्पष्ट होता है कि
वादी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मुख्य[illegible] विवादित भूमि ख.नं.
612/1046 रकबा 2.00 है. वादी/वादीग[illegible] कृषि भूमि के रूप में
प्रचलित खातेदारी अधिकारिता की भूमि है [illegible] के पूर्व के
प्रचलित अभिलिखित खातेदार से विधिवत जरिये रजिस्टर्ड विक्रय [illegible] क्रय की गई है एव क्रय
किये जाने के पूर्व से ही भूमि का कब्जाकाश्त विक्रेता का तथा क्रय किये जाने के पश्चात से
वादीगण का चला आ रहा है तथा भूमि पूर्व से ही व आदिनांक तक भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज
अंकित है। जिसे प्रतिवादी वन विभाग द्वारा स्वयं की अधिकार क्षेत्र की व रिकार्ड में संधारित भूमि
बताया गया है। जिसके क्रम में वादी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह बखूबी सिद्ध होता
है कि उल्लेखित भूमि वादी/वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 1530 दिनांक 16.
08.1999 के द्वारा विधिवत व नियमानुसार मुद्रा शुल्क अदा कर क्रय की गई है तथा क्रय किये
जाने के दिन भूमि के सन्दर्भ में कोई वाद/स्थगन प्रभावी होने बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज अथवा

कोई तथ्य भी प्रस्तुत नही किया गया है। जिसके क्रम में ही विधिवत नामान्तकरण भी नियमानुसार दिनांक 20.11.2001 को स्वीकृत किया गया है। वादी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार विवादित भूमि पूर्व से ही निरन्तर राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित रही है। जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि का वन भूमि होना कही दर्ज अंकित नही है। इसके विपरीत प्रतिवादी के कथनानुसार विवादित भूमि प्रतिवादी वन विभाग की अधिकारीता व कब्जे की भूमि है। जिसके सन्दर्भ में पूर्व में वादी के विरूद्ध पारित हुए बेदखली के निर्णय के क्रम में वादी द्वारा हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि किसी भूमि विशेष के सन्दर्भ में पूर्व में पारित आदेश के विरूद्ध अपील ही की जा सकती है, उक्त आदेश के क्रम में नया वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रतिवादी द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नही है, जबकि प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वादी की अभिलिखित खातेदारीता की भूमि ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. वन विभाग की खातेदारी अधिकारीता की भूमि हों। जहा तक प्रश्न प्रतिवादी वन विभाग के इस कथन का है कि उसके द्वारा वादी के विरूद्ध धारा-91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है तो उक्त सन्दर्भ में न्यायालय के विवेकानुसार प्रथम दृष्टया उक्त कार्यवाही विधि विरूद्ध है क्योकि वादी भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा भूमि वन भूमि के रूप में दर्ज अंकित नही होकर पूर्व से ही निरन्तर कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित रही है। जिसके सन्दर्भ में धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रतिवादी वन विभाग को कोई अधिकार नही था/है, साथ ही न्यायालय सहायक वन संरक्षक अधिकारी के निर्णय अनुसार धारा 91 के अन्तर्गत की गई उक्त कार्यवाही साबिक खसरा नं. 424 की भूमि 1.575 है. के सन्दर्भ में की गई अंकित है। उक्त निर्णय में भूमि के हाल ख.न. का अंकन नही है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादी का वर्णित खसरा नं. 424 पर कभी कोई कब्जाकाश्त व खातेदारीता भी नही रही है। अपितु वादीगण द्वारा खसरा नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. का क्रय दिनांक 16.08.1999 को किया गया है तथा उक्त दिवस से ही कब्जा प्राप्त किया है। क्रय किये जाने के पश्चात भूमि का ख.नं. कभी भी 424 नही रहा है, ना ही क्रय किये जाने से पूर्व ख.नं. 424 रहा है, अपितु वर्ष 1999 से पूर्व/भूमि के खसरा नं. 612/1046 के पूर्व ख.नं. 257 रहे है। इस प्रकार गत लगभग 52 वर्षो से तो कभी वर्णित भूमि के ख.नं. 424 नही रहे है जो कि जमाबन्दी सम्वत 2025-2028 से भी स्पष्ट है। जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि वर्ष 2010 में किस वर्णित भूमि के गत ख.नं. 424 थे, जिसके सन्दर्भ में वादी को दिनांक 09.09.2010 को क्रमांक 700 अनुसार प्रतिवादी वन विभाग द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत जारी किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी वन विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि गजट नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति दिनांक 10.03.1978 द्वारा कौनसी विशिष्ट भूमि उक्त आदेश के अनुसरण में वन विभाग को हस्तांतरित की जानी थी क्योंकि प्रस्तुत गजट नोटिफिकेशन/विज्ञप्ति दिनांक 10.03.1978 में विशिष्ट ख.नं. का उल्लेख नही है। इस प्रकार प्रतिवादी वन विभाग द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि किस आधार पर प्रतिवादी वन विभाग खसरा नं. 424 के रकबा 54 बिघा 14 बीस्वा को वन विभाग के स्वामित्व व कब्जे की भूमि मानता है तथा ना ही यह स्पष्ट किया गया है कि यदि विज्ञप्ति/गजट नोटिफिकेशन दिनांक 10.03.1978 के अनुसरण/पालना में यदि वन विभाग द्वारा भूमि अवाप्त/प्राप्त कर ली गई थी तो क्यों व किस आधार पर उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वन विभाग की भूमि के रूप में अंकित नही होकर आज दिनांक तक भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित है एवं क्यों उक्त भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग को नही किया गया/जा सका। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी वन विभाग के कथनों के विपरीत साबिक खसरा नं. 424 का कुल रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा ना होकर 58 बीघा 7 बिस्वा स्वयं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज [illegible] एकीकरण से भी स्पष्ट है।

इस प्रकार तथ्यों के सन्दर्भ में समग्र [illegible] दस्तावेजात अनुसार यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 612/1046 रकबा 2.00 है. [illegible] के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित है। जो कि स्पष्ट रूप से [illegible] की एकल खातेदारीता/अधिकारिता की भूमि है। प्रतिवादी वन विभाग द्वारा अपनी अधिकारिता के सन्दर्भ में कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें विवादित भूमि खसरा नम्बर 612/1046 का उल्लेख हो। चूंकि विवादित भूमि खसरा नम्बर 612/1046 रकबा 2.00 है. वादी की खातेदारी अधिकारिता की भूमि है जिसकी सुरक्षा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। राज. काश्त. अधि. की धारा-188 ने एक काश्तकार खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों की भूमि की सुरक्षा के अधिकार प्रदान किये गये है। जिससे उक्त सन्दर्भ में सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। जहां तक प्रश्न प्रतिवादी के इस कथन का है कि उसके द्वारा धारा-91 एल.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:44:25 IST
Reason: SelfAttested

आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की है तो प्रथम दृष्टया उक्त कार्यवाही विधि विरूद्ध है क्योकि वादी/वादीगण भूमि के अभिलिखित खातेदार है। वादी द्वारा एक खातेदार काश्तकार के रूप में स्वयं की अधिकारिता की भूमि रक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र विधि अनुसार प्रस्तुत किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि प्रतिवादी भूमि का स्वामित्व अपना मानता है तों उसके सन्दर्भ में प्रतिवादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिसके क्रम में विधि अनुरूप सुनवाई की जाकर साक्ष्यों की गुणावगुण के दृष्टिगत निर्णय किया जाना उचित होगा। इस प्रकार चूंकि प्रस्तुत वादपत्र वादी द्वारा स्वयं की रिकार्डेड खातेदारी की भूमि की रक्षा के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है तथा जिसकी सुनवाई के पूर्ण अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है एवं प्रस्तुत वादपत्र में विधि अनुसार कोई त्रुटि नहीं है। प्रस्तुत व उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रथम दृष्टया विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में पूर्व से ही निरन्तर कृषि भूमि के रूप में दर्ज होने एवं वादी द्वारा विधिवत व नियमानुसार भूमि के पूर्व प्रचलित अभिलिखित खातेदार व सदभावी क्रेता (उक्त दिवस को भूमि के सन्दर्भ में कोई वाद/स्थगन प्रभावी नही होने व राजस्व रिकार्ड में विक्रेता की एकल खातेदारीता में दर्ज होने से) के रूप में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय किये जाने से प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति वादीगण के पक्ष में सिद्ध प्रतीत होती है। साथ ही उभयपक्षकारान के अभिकथनो व तथ्यो के समग्र विवेचन से प्रकरण अपनी खातेदारिता की भूमि की वास्तविक पहचान/सीमाज्ञान से संबंधित प्रतीत होता है। जिससे अपनी अभिलिखित वास्तविक भूमि/सीमा की जानकारी का अभाव पक्षकारान के मध्य विवाद का संभावित मूल कारण होना प्रतीत होता है। जिससे अपनी अभिलिखित वास्तविक भूमि की सक्षम जानकारी व तदनुसार पुख्ता कार्यवाही स्थाई रूप से वाद निस्तारण का उचित आधार होगी। अतः उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे अपनी अभिलिखित खातेदारी भूमि के विधिक व तकनीकी रूप से मान्य सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार आमेर/सक्षम स्तर पर विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सीमाज्ञान करावे तथा साथ ही तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान से विधिवत प्राप्त आवेदन अनुसार उभयपक्षकारान की भूमि का मान्य आधार पर सीमाज्ञान कर पक्षकारान को अपनी वास्तविक भूमि/सीमा से अवगत करावे तथा वास्तविक भूमि व कब्जाशुदा भूमि में भिन्नता पाई जाने पर उभयपक्षकारान को वास्तविक भूमि पर एवं कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही पूर्ण करावें। उक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने तक चूंकि भूमि खसरा नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. प्रचलित राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तथा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात अनुसार वादी/वादीगण की विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रयशुदा कृषि भूमि है। जिस पर वादीगण विगत 27 वर्षो से एक सद्भावी क्रेता के रूप में काबिज खातेदार काश्तकार है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को भूमि की वास्तविक पहचान/सीमाज्ञान कार्यवाही पूर्ण होने तक जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वें ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 612/1046 रकबा 2.00 है. जो कि प्रचलित राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी/वादीगण की एकल खातेदारीता व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि है, में वादीगण के कब्जाकाश्त व भूमि के उपयोग उपभोग में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(फास्ट ट्रेक) आमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:44:25 IST
Reason: SelfAttested